

पत्रांक 15/जी -1-02/2001 उ0शि0 - 13
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित। सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा - वित्त विभाग

पटना, दिनांक-.....2009

विषय:- विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में
गैर-योजनान्तर्गत मद से वेतनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में
30,02,000/- (तीस लाख दो हजार ०0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु गैर-योजना मद में 30,02,000/- (तीस लाख दो हजार ०0) मात्र इस शर्त के साथ स्वीकृत करने की कृपा की है कि प्रशासी विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ही विघटित आयोग के कर्मियों की सेवा के संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।।

2. व्यय का विकलन बजट शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा- 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय, मांग संख्या-21 उपशीर्ष 0001- बिहार कॉलेज सेवा आयोग विपत्र कोड-एन-2202038000001-विषय शीर्ष-3101 सहायक अनुदान आवर्तक के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना से लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा कर विघटित आयोग के कर्मियों का भुगतान करेंगे।

4. यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जायेगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि का व्यय सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर होगा तथा राशि का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जाएगा। जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और यदि राशि बच जाती है तो उसे राज्य कोष में जमा कर दिया जाएगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को यह अधिकार होगा कि विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग की लेखा का अंकेक्षण करें। जिस खास उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है


उसका व्यय उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाएगी ताकि उसका लेखा-जोखा
आयोग द्वारा अलग से रखा जाएगा।

व्यय विवरणी के अनुसार राशि खर्च किया जाए। राशि का विचलन किसी भी
परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

7. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित कर दिया गया है।

8. यू0ओ0आर0 संख्या 737/एफ 8 दिनांक 17.11.2009 के द्वारा वित्त विभाग की
सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
30/11/09.

व्यय विवरणी

विधित्त बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैर योजनान्तर्गत मद से वेतनादि भुगतान हेतु स्वीकृत अनुदान की व्यय विवरणी।

क्रमांक	मद	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि पर व्यय	30.02,000/-
	कुल	30.02,000/-


(तीस लाख दो हजार रू० मात्र)



(प्रकाश चन्द्र सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग।


20/11/09